**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**पंचायती राज**

क्रमांकः– एफ. 165(13)परावि / FFC / निष्पादन / 2017–18 / 8140 दिनांक 15/11/2017

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद–समस्त।**
**विकास अधिकारी,**
**पंचायत समिति, समस्त।**

**विषयः–** 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कार्य निष्पादन अनुदान **(Performance Grant)** के संवितरण बाबत।

**प्रसंगः–** विभागीय पत्र क्रमांक एफ 165 (13) / परावि / एफ.एफ.सी. / 2015–16 / 2723–30 दिनांक 15.05.2017 एवं 6258–61 दि. 13.09.2017

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को वर्ष 2017–18 में जारी किये जाने वाले कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु वांछित शर्तो की पालना करने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15.11.2017 तक चाही गई थी परन्तु आज दिनांक तक आपकी जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध मे दिनांक 14.11.2017 को संपन्न हुई विडियो कॉन्फ्रैसिंग में भी शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि वांछित सूचना 30.11.2017 तक आवश्यक रूप से विभागीय मेल आई डी **rajpr.fa.rajasthan.gov.in** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके अधीन ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का आवंटन नही किया जा सकेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
**वित्तीय सलाहकार**